संख्या-26/2022/217/18-2-2022-18-2099/261/2021

प्रेषक

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जुलाई, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं कौशल क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में यूपिको द्वारा भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार के पत्र संख्या-20/3/2021-निर्भया दिनांक 24-6-2022 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुयी है। योजना के प्राविधानानुसार रू0 8,25,00,000/- बजट का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार तथा 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। भारत सरकार ने 60 प्रतिशत अंश के सापेक्ष निर्गत धनराशि/सहायता अनुदान की प्रथम किस्त रू0 2,47,50,000/- व राज्यांश की 40 प्रतिशत धनराशि रू0 3,30,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत प्राविधिानित धनराशि में से केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 247.50 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 व समाज कल्याण अनुभाग(बजट प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत धनराशि से सामूहिक प्रशिक्षण योजना में एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. की धनराशि से केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को आच्छादित किया जायेगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद मे ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था यूपिकॉन को तत्काल उपलब्ध करा दी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,47,50,000 (रूपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-003 लेखाशीर्षक '285100102 0104-औद्योगिक क्षेत्रो में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिये जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (के-60/रा-40) मानक मद 42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-6-33-दस-2022-23, दिनांक 20 जुलाई, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संबंधित कार्यदायी संस्था।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-3/6
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

डा0 प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।